भेदभाव-रोधी अध्यादेशों में संशोधन

ये संशोधन किस बारे में है?

भेदभाव कानून (विविध संशोधन) अध्यादेश 2020 (Discrimination Legislation (Miscellaneous Amendments) 2020) और लैंगिक भेदभाव (संशोधन) अध्यादेश 2021 (Sex Discrimination (Amendments) Ordinance 2021) ("अध्यादेशों") ने भेदभाव और उत्पीड़न से अधिक सुरक्षा के लिए चार मौजूदा भेदभावरोधी अध्यादेशों, जिनके नाम लैंगिक भेदभाव अध्यादेश (Sex Discrimination Ordinance) (SDO), विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (Disability Discrimination Ordinance) (DDO), पारिवारिक स्थिति भेदभाव अध्यादेश (Family Status Discrimination Ordinance) (FSDO) और जातीय भेदभाव अध्यादेश (Race Discrimination Ordinance) (RDO) हैं, में संशोधन किए गए हैं।

ये अध्यादेश कब लागू हुए?

स्तनपान कराने संबंधी प्रावधानों को छोड़कर इन अध्यादेशों के सभी प्रावधान **19 जून, 2020** को प्रभावी हुए हैं। स्तनपान कराने से संबंधित प्रावधान 19 जून, 2021 से प्रभावी होंगे।

अध्यादेश के अंतर्गत कौन से संशोधन किए गए हैं?

ये संशोधन लिंग, विकलांगता और जातीय भेदभाव के साथ-साथ यौन उत्पीड़न, स्तनपान करवाने वाली महिलाओं का उत्पीड़न, विकलांगता और नस्ल के आधार पर अलग-अलग रूपों में होने वाले भेदभावों से सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

स्तनपान कराने वाली महिलाओं को SDO के अंतर्गत रोज़गार , सामान, सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान, शिक्षा, परिसरों के निपटान, क्लब, और सरकार के कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव, उत्पीड़न और अत्याचार से बचाना।

स्तनपान भेदभाव और उत्पीड़न के प्रावधानों में वे परिस्थितियाँ शामिल हैं जहाँ:

- कोई महिला बच्चे को स्तनपान करा रही है;
- कोई महिला बच्चे के लिए स्तन का दूध निकाल रही है; और
- कोई महिला जो बच्चे को अपने स्तन का दूध पिलाती है, लेकिन उस समय यह कार्य नहीं कर रही थी जब भेदभाव किया जाता है।

SDO, DDO और RDO के अंतर्गत सामान्य कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को यौन, स्तनपान करवाने, विकलांगता और जातीय उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना जहाँ कोई रोज़गार संबंध नहीं हैं, जैसे कन्साइनमेंट कर्मी, स्वयंसेवी और इंटर्न।

स्वयंसेवी - वह व्यक्ति जो नियोक्ता या कर्मचारी के तौर पर कार्य ना करते हुए स्वेच्छा से कार्य करता है
इंटर्न - एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इंटर्न के तौर पर कार्य तो करता है लेकिन वह उस दूसरे व्यक्ति का कर्मचारी नहीं होता।
इंटर्नशिप को ऐसी कार्य अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे किसी पेशेवर या शैक्षिक योग्यता हासिल करने के लिए पूरा करना ज़रूरी है और इसमें उसका छात्र होना आवश्यक होता है; या यह कोई दूसरी ऐसी कार्य अवधि भी हो सकती है जिसे आम तौर पर इंटर्नशिप कहा जाता है

DDO और RDO के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के द्वारा किए गए विकलांगता और जातीय उत्पीड़न से बचाना, वहाँ भी जहाँ ऐसे कृत्य हांग कांग-पंजीकृत हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों पर किए जाते हैं, तब भी जब वे विदेश में हैं।

(ध्यान दें: यह प्रदान की गई मूल सुरक्षा के साथ-साथ एक अतिरिक्त सुरक्षा है। SDO, DDO और RDO के अंतर्गत ग्राहकों को हमेशा से सामान, सुविधा और सेवा प्रदाताओं द्वारा लिंग, विकलांगता और जातीय उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाती रही है। 2014 में सामान, सुविधा और सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों द्वारा यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए SDO में और संशोधन किए गए, तब भी जब ऐसे कृत्य विदेशों में हांग कांग-पंजीकृत हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों पर किए जाते हैं।)

RDO के अंतर्गत जनता को आरोप द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जातीय भेदभाव और जातीय उत्पीड़न से बचाना, यानी किसी व्यक्ति को किसी ख़ास नस्ल या किसी ख़ास नस्लीय समूह का सदस्य होने का आरोप लगाना।

RDO के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष जातीय भेदभाव या जातीय उत्पीड़न से बचाना, जहाँ किसी संबंधी की नस्ल के कारण उसके साथ अच्छा आचरण नहीं किया जाता या उसका उत्पीड़न किया जाता है।

सहयोगी – किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, कोई दूसरा व्यक्ति जो उस व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध के आधार पर रहता है; उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार; व्यक्ति का देखभालकर्ता; या कोई दूसरा व्यक्ति जो उस व्यक्ति के साथ व्यावसायिक, खेलकूद या मनोरंजन संबंधी रिश्ते में है, शामिल होते हैं।
देखभालकर्ता – समाज कल्याण का निदेशक, समाज कल्याण विभाग का कोई प्राधिकृत अधिकारी; और RDO के शेड्यूल 6 में बताया गया कोई व्यक्ति शामिल होता है।

SDO और DDO के अंतर्गत क्लब के सदस्यों और संभावित सदस्यों को क्लब या क्लब के प्रबंधन द्वारा यौन, स्तनपान और विकलांगता उत्पीड़न से बचाना।

SDO, FSDO और RDO के अंतर्गत अप्रत्यक्ष भेदभाव के कृत्यों के लिए अदालत की कार्रवाइयों में क्षति का फैसला लेने के लिए पूर्व-प्रतिबंध के रूप में भेदभाव करने की मंशा की आवश्यकताओं को रद्द करना।

अध्यादेश के अंतर्गत संशोधनों के बारे में अधिक जानकारी कैसे मिल सकती है?

अध्यादेशों की पूरी सामग्री यहाँ उपलब्ध है:
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf
https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/3!en

समान अवसर आयोग (EOC) ने संशोधनों पर मागदर्शन की सामग्री तैयार की है, जो EOC वेबसाइट www.eoc.org.hk पर उपलब्ध हैं।

मैं EOC में शिकायत कैसे दर्ज करा सकता/सकती हूँ?

जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भेदभावरोधी अध्यादेशों में स्पष्ट किए गए प्रावधानों के अनुसार उसके साथ भेदभाव हुआ है, उसे परेशान किया गया है या बदनाम किया गया है, वह EOC के पास **लिखित में** शिकायत दर्ज करा सकता है और निम्नलिखित किसी भी मार्ग (चैनल) से EOC को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है:

- मेल से पत्र
- EOC वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म
- फैक्स
- EOC कार्यालय में खुद जाकर
- टेलीफोन (सिर्फ पूछताछ के लिए)
- SMS सेवा (सुनने/बोलने में कठिनाई वाले व्यक्तियों द्वारा पूछताछ के लिए)

भेदभावरोधी अध्यादेशों के बारे में पूछताछ के लिए: ऑनलाइन पूछताछ फॉर्म
भेदभावरोधी अध्यादेशों के बारे में शिकायत के लिए: ऑनलाइन शिकायत फॉर्म
EOC की सेवाओं के बारे में पूछताछ और शिकायत के लिए: ऑनलाइन फॉर्म

EOC से संपर्क करें

टेलीफोन:	(852) 2511 8211 (सिर्फ सामान्य पूछताछ के लिए)
फैक्स:	(852) 2511 8142
पता:	16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.
ईमेल:	eoc@eoc.org.hk (सिर्फ सामान्य पूछताछ के लिए)
SMS सेवा:	6972566616538 (सुनने/बोलने में कठिनाई वाले व्यक्तियों द्वारा पूछताछ के लिए)

भेदभावरोधी अध्यादेशों के अंतर्गत भेदभाव के बारे में पूछताछ और शिकायतों के लिए कृपया ऊपर दिए गए ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग करें।)

समान अवसर कमीशन
अप्रेल 2021

ध्यान दें: यह पुस्तिका केवल संदर्भ के लिए है और इसे कानूनी सलाह के एवज़ के रूप में नहीं लेना चाहिए।